बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं०सं0 :–3/अ०प्र०–1–202/2018 814 /पटना, दिनांक :– 23.1.25

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 9166 (एस) दिनांक 03.12.2018 के द्वारा श्री बिन्दु रजक, तदेन सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधेपुरा के विरूद्ध पथ प्रमंडल, मधेपुरा अंतर्गत कर्पूरी चौक से पतरघाट तक सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य मे पायी गयी त्रुटि यथा (i) पी0सी0सी0 कार्य मे प्रयुक्त सिमेंट, बालू एवं चिप्स का औसत अनुपात 1:3:63:4:96 पाया गया, जबकि प्रावधान 1:1:5:3 का है, (ii) पथ के पहले कि0मी0 (400 m) मे कराये गये पी0सी0सी0 कार्य की औसत मोटाई 237 mm पायी गयी जबकि प्रावधान 250 mm का है, के संदर्भ मे निरोधात्मक कार्रवाई (लघु दंड अधिरोपण) की अनुशंसा की गयी। पथ निर्माण विभाग द्वारा आलोच्य पथ से संबंधित प्रारंभिक एवं गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन तथा विभागीय तकनीकी समिति बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी।

पथ निर्माण विभाग से प्राप्त अनुशंसा एवं अभिलेख के आलोक में मामले के समीक्षोपरान्त श्री बिन्दु रजक, तत्कालीन सहायक अभियंता पथ प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण एवं अन्य संबंधित अभिलेख की मांग पथ निर्माण विभाग से की गयी। स्मार पत्रों के उपरांत पथ निर्माण विभाग से उक्त वांछित अभिलेख प्राप्त नहीं होने की स्थिति मे पथ निर्माण विभाग अंतर्गत संधारित संचिका के अवलाकनोपरांत यह स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत मामले मे श्री रजक का संवर्ग ग्रामीण कार्य विभाग होने एवं वर्त्तमान पदस्थापन उपलब्ध नहीं होने के कारण इनसे स्पष्टीकरण पूछने की कार्रवाई नहीं की गयी।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य मे नियमानुसार कार्रवाई/नैसर्गिक न्याय के तहत आलोच्य पथ से संबंधित प्रारंभिक एवं गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये श्री बिन्दु रजक, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

श्री रजक के पत्रांक 36 अनु0 दिनांक 08.02.2023 के माध्यम से प्राप्त स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत त्रुटि संख्या (i) के संबंध मे स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य तथा त्रुटि संख्या (ii) के संबंध मे अस्वीकारात्मक पाया गया।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में समग्र समीक्षोपरांत उक्त के लिए निंदन की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः श्री बिन्दु रजक, तदेन सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(i) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

1. निंदन (आरोप वर्ष–2011–12)।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक मे प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

22/01/25

(डॉ फतेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–202/2018 814 /पटना, दिनांक :– 23.1.25

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–202/2018 814 /पटना, दिनांक :– 23.1.25

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अग्रिम योजना अंचल, पटना–1 /कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, सुपौल/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6/विभागीय आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) एवं श्री बिन्दु रजक,तदेन सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अग्रिम योजना अंचल, पटना–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव